



2026:AHC:3558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19734 वर्ष 2025

उमा शंकर यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को 26.4.1990 से 2017 तक मिर्जापुर जिले के सदर तहसील में संग्रहण अमीन के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता को पूर्ण वेतन का भुगतान विधिवत करने के लिए प्रतिवादियों/संबंधित अधिकारियों को आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है; याचिकाकर्ता को मिर्जापुर जिले के सदर तहसील में संग्रहण अमीन के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति पूर्ण करने का भुगतान विधिवत करने के लिए प्रतिवादियों/संबंधित अधिकारियों को आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है; और सेवानिवृत्ति लाभों के विलंबित भुगतान और ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए प्रतिवादियों/संबंधित अधिकारियों को आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसकी गणना सेवानिवृत्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान तक की जाएगी। और आगे, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 18.3.2025, 4-4-2025 (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 6) और 14.9.2025 को दायर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए प्रतिवादियों/संबंधित अधिकारियों को आदेश/निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो अभी भी लंबित है, और इस अभ्यावेदन पर इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्निहित दोष के कारण, पुनर्विचार के लिए नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निर्णय लिया जाए।

2. विद्वान अपर स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, रिट याचिका को वापस ले लिया गया मानकर उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है।

7 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)